

धारा 147 : निर्यात समझा जाना

सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर जहां पूर्ति किया गया माल भारत से बाहर नहीं जाता है और ऐसी पूर्ति के लिए संदाय, भारतीय रूपए या संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त हो गया है, यदि ऐसा माल भारत में विनिर्मित किया गया है, यह अधिसूचित कर सकेगी कि ऐसे कतिपय माल की पूर्ति को निर्यात के रूप में समझा जाएगा।
